37

57

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2807–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–07–2012 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील वक्स्वाहा जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 37/अ–12/2011–12

.....

भगवान दास उर्फ फत्तू काछी
पुत्र घंसू काछी निवासी वक्स्वाहा, तहसील वक्स्वाहा,
जिला छतरपुर म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–म0प्र0शासन द्वारा जर्ये तहसीलदार वक्स्वाहा
जिला छतरपुर म0प्र0
2–दीनदयाल पटेल पुत्र श्री बसोरेलाल
निवासी ग्राम बक्स्वाहा, तहसील बक्स्वाहा
जिला छतरपुर

..... अनावेदकगण

.....

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी0के0शुक्ला, पेनल लॉयर, अनावेदक कमांक 1 शासन
श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/1/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार, तहसील वक्स्वाहा जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–07–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 215 रकबा 0.096 आरे का सीमांकन कराने बावत आवेदक द्वारा अधीक्षक भू अभिलेख छतरपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार बक्स्वाहा द्वारा प्रकरण क्रमांक 37/अ–12/2011–12 पंजीबद्ध कर सीमांकन आदेश दिनांक 17.07.2012 पारित किया

गया । उक्त विवादित आदेश दिनांक 17.07.2012 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया कि राजस्व निरीक्षक (आर0 आई0) वक्स्वाहा द्वारा मौके पर जाकर मय मौजा पटवारी के व सर्वे क्रमांक 1215 के सरहदी काश्तकारों को सूचना देकर विधिवत सीमांकन किया गया । विचाराण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये दस्तावेजों का न तो परीशीलन किया और न ही परीक्षण किया गया, महज कल्पना के आध पर सीमांकन कार्यवाही अस्वीकार कर क्षेत्राधिकार विहीन आदेश पारित किया है । तर्क में यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिन्दू पर विचार नहीं किया है कि मौके पर किसी काश्तकार द्वारा आपत्ति नहीं की गई बाद में आपत्तिकर्ता की आपत्ति पर बगैर साक्ष्य लिये स्वीकार कर अनियमित व अवैधानिक आदेश पारित किया है । अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तहसीलदार बक्स्वाहा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.2012 निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया कि तहसीलदार न्यायालय द्वारा सीमांकन आदेश पारित करने में कोई अनियमितता नहीं है, इसलिये उसे स्थिर रखा जाना उचित होगा। अतः आवेदक की निगरानी निरस्त की जावे।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 दीनदयाल पटेल के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किये कि सीमांकन कार्यवाही में दीनदयाल पटेल द्वारा प्रस्तुत आपत्तियॉ को तहसील न्यायालय ने निराकृत करते हुये प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में किये गये सीमांकन को त्रुटिपूर्ण पाते हुये उसे निरस्त किया तथा रकबे में क्षेत्रफल को सुधार कर पृथक से आवेदन प्रस्तुत होने पर पुनः सीमांकन किये जाने का आदेश पारित किया है, इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अनियमितता नहीं होने से उसे स्थिर रखा जावे तथा आवेदक की निगरानी अस्वीकार की जावे ।

6/ मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक क्र0 2 की आप्रत्ति सुनने के बाद ही तहसीलदार ने प्रश्नाधीन सर्वे नम्बर में दर्ज भूमि के

रकबे में त्रुटि पाई जाने की स्थिति को देखते हुए सीमांकन को अमान्य किया है । आवेदक ने अपनी निगरानी में तहसीलदार द्वारा दर्शाये गये भूमि के रकबे अथवा उसके स्वामित्व में कितना रकबा है इस पर कोई विपरीत तर्क/टीका अपने तर्को/निगरानी मेंमो में नहीं किया है । जिससे यह स्पष्ट है कि वह रकबे में त्रुटि के तथ्य से सहमत है । ऐसी स्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर